डी0जी0 परिपत्र संख्या– 47 /2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश ।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांक: सितम्बर 03 ,2018

विषय:–रिट याचिका(सिविल) संख्या–754/2016, तहसीन एस0 पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पारित निर्णय में दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कम में भीड़ द्वारा कारित हिंसा एवं हत्या की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के परिपत्र संख्या–डीजी–41/2018, दिनांक 26.07.2018 तथा श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, के पत्र संख्या–1946पी/छ:–पु–3–2018–2 (114)पी/2016टी0सी0, दिनांक 28–08–2018(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो भीड़ द्वारा कारित हिंसा एवं हत्या की घटनाओं(Incidents of violence and lynching by mob) की रोकथाम हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पारित निर्णय में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, के पत्र संख्या–2217पी/छ:–पु–3–17–2(114)पी/2016टी0सी0–1, दिनांक 14–09–2017(छायाप्रति संलग्न) द्वारा हाईवे व अन्य सड़क मार्गो पर स्थानीय पुलिस एवं डायल–100 द्वारा की जाने वाले पेट्रोलिंग के दौरान किसी विजिलैन्टीस(Vigilantes)द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर अपराधिक गतिविधि करने की जानकारी प्राप्त होने पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं ऐसी सभी घटनाओं की सूचना नोडल अधिकारी को दिये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है जिसको अनुपालन हेतु आप सभी को पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

इस मुख्यालय के सन्दर्भित परिपत्र संख्या: 41/2018 दिनांक 26.07.2018 जो उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट https://uppolice.gov.in/ पर उपलब्ध है, के द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांकित 17.07.2018 के अक्षरश: अनुपालन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश से आप समस्त भलीभांति अवगत हैं।

आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन एवं इस मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों की चर्चा प्रत्येक जनपदीय पुलिस गोष्ठी में करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की कोई घटना घटित न हों यदि अपरिहार्य स्थिति में इस प्रकार की घटना घटित हो जाए तो उसके सम्बन्ध में तत्परता पूर्वक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी और इसके लिए जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद एवं नोडल अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

1–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner